

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1742/सम./ब-4/चार/2024
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/06/2024

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

- विषय:- शासन के समस्त विभागों/निगम/मंडल/उपक्रम/निकाय व अनुदान प्राप्त संस्थानों द्वारा वाहन किराये पर लेने की प्रक्रिया का निर्धारण।
- संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1142/एफ 3-1/04/ब-4/चार, दिनांक 13.09.2009 (वित्त निर्देश 34/2009)
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक/1554/सम./ब-4/चार, दिनांक 13.05.2024 (स्थायी वित्त निर्देश 03/2024)

—000—

राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से शासकीय वाहनों के क्रय करने एवं वाहन किराए पर लेने की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

2- संदर्भित ज्ञापन क्रमांक-2 की कंडिका 15 में वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गयी है। वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में वाहन किराये पर लेने संबंधी अधिकार समाप्त किए गए हैं। अपवाद स्वरूप वित्त विभाग की सहमति से ही वाहन विशेष उद्देश्य व निर्धारित अवधि के लिए किराये पर लिया जा सकता है।

3- प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/निगम/मंडल/अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा किराये का वाहन उपयोग में लिया जा रहा है तथा उक्त वाहनों के किराये की दरों में एकरूपता नहीं है। अतः एकरूपता की दृष्टि से **परिशिष्ट-अ** अनुसार वाहनों/समतुल्य वाहनों के किराया हेतु दर तथा **परिशिष्ट-ब** अनुसार किराये की शर्त निर्धारित किया जाता है।

4- किराये के वाहन की दरें राज्य मद से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के साथ केन्द्र पोषित अथवा अन्य मदो से वित्त पोषित योजनाओं के तहत किराये पर भी लिये जाने वाले वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे।

5- विभाग द्वारा परिशिष्ट-ब में उल्लेखित शर्तों के साथ किराये के वाहन हेतु नियमानुसार दर आमंत्रित करने निविदा की कार्यवाही की जायेगी। परिशिष्ट-अ में उल्लेखित दर से अधिक दर की स्थिति में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार (बिसल))

सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 1743 /सम./ब-4/चार
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/06/2024

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव/अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर/निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

-----को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु



(लोकेंद्र कुमार साहू)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

वाहनों का प्रकार एवं दर (सभी कर सहित)

(राशि रूपये में)

क्र.	वाहन का प्रकार	विवरण	किराये के वाहन हेतु कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर
1.	Innova /Mahindra XUV700/Tata Harrier/Tata Safari	1. मासिक दर 2000 कि.मी. तक	75000.00
		2. प्रतिदिवस 100 कि.मी. तक	4000.00
		3. मासिक/प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.	18.00
2.	Honda City/ MG Hactor/ Hyundai Creta/ Kia Seltos/Scorpio/Skoda Kuf/ Volkswagen Taigun	1. मासिक दर 2000 कि.मी. तक	65000.00
		2. प्रतिदिवस 100 कि.मी. तक	4000.00
		3. मासिक/प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.	17.00
3.	Maruti ciaz /Hyundai Verna/Volkswagen Virtus/Mahindra Bolero	1. मासिक दर 2000 कि.मी. तक	60000.00
		2. प्रतिदिवस 100 कि.मी. तक	3000.00
		3. मासिक/प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.	17.00
4.	Maruti Ertiga /Maruti XL6/ Maruti Brezza/ Grand Vitara	1. मासिक दर 2000 कि.मी. तक	62000.00
		2. प्रतिदिवस 100 कि.मी. तक	3000.00
		3. मासिक/प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.	16.00
5.	Maruti Dzire /Honda Amaze/Tata Nexon	1. मासिक दर 2000 कि.मी. तक	54000.00
		2. प्रतिदिवस 100 कि.मी. तक	2500.00
		3. मासिक/प्रतिदिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.	13.00

टीप :- 1. आगामी निर्देश तक यह दर प्रभावशील होगा।

2. स.क्र. 01 के वाहनों हेतु कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विभागाध्यक्ष या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही पात्र होंगे।

वाहन किराये से लिए जाने हेतु शर्तें

1. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। इन वाहनों के पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि अनिवार्यतः ली जाये।
2. वाहन के समस्त दस्तावेज जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। बीमा संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा किया जाये।
3. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
4. किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा तथा फर्म के द्वारा अपने निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से वाहन हटा दिया जावेगा।
5. वाहन की मरम्मत, रख-रखाव, दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।
6. उपयोग के दौरान वाहन के खराब होने की स्थिति में समतुल्य वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा। वाहन तत्काल उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त दिवस की राशि कटौती की जाएगी। यदि कार्यालय द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो व्यय पूर्ति की जवाबदारी फर्म की होगी।
7. वाहन का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जावेगा। यदि उक्त दिवसों पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मासिक दर के आधार पर प्रति दिवस राशि की गणना कर कटौती की जावेगी।
8. फर्म के द्वारा वाहन चालक के संबंध में जानकारी (आधारकार्ड, वैध ड्रायविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति) उपलब्ध करायी जाए। वाहन चालक यातायात नियमों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कम से कम 03 वर्ष वाहन चलाने का अनुभव हो तथा वाहन चालक के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक/दुर्घटना प्रकरण दर्ज न हो।
9. वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को संधारित करना होगा एवं उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा।
10. लॉग बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ देयक एक प्रति में प्रस्तुत करना होगा। फर्म द्वारा बैंक खाते का विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
11. देयक के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।
12. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन, भत्ता आदि) फर्म द्वारा देय होगा।
13. वाहन चालक के अवकाश पर रहने या अस्वस्थ होने पर फर्म के द्वारा तत्काल दूसरे अर्हताधारी वाहन चालक की व्यवस्था की जायेगी।
14. दर निर्धारण पश्चात् नियत अवधि हेतु कार्यादेश दिया जावेगा। कार्यादेश में उल्लेखित शर्तों का एजेंसी के द्वारा उल्लंघन करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। किसी भी समय कार्यादेश रद्द करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित होगा।
15. नियत अवधि में पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जी.एस.टी. में वृद्धि होने पर बढ़े हुए दर के भुगतान का दायित्व वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
16. उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रकार का निर्धारण करने का अधिकार कार्यालय को होगा।

17. वाहनों के दरों के निर्धारण पश्चात् फर्म द्वारा राशि 1,00,000/- रू. का सावधि जमा, किराये से वाहन प्राप्त करने वाले अधिकारी के पदनाम से धरोहर/अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। उक्त फर्म का वाहन जब तक कार्यालय में उपयोग किया जाएगा, तब तक उक्त राशि जमा रहेगी। फर्म के द्वारा कार्यालय से वाहन हटाये जाने के पश्चात् ही अमानत राशि फर्म को वापस की जावेगी। शर्त के उल्लंघन पर अमानत राशि जब्त किया जायेगा।
18. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म की होगी। अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य एजेंसी/फर्म से वाहन प्राप्त किया जायेगा।
19. वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा लिया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।
20. मासिक किराया दर में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. चलित दौरा सम्मिलित है, जिसमें पेट्रोल/डीजल फर्म के द्वारा देय होगा। मासिक 2000 कि.मी. से अधिक चलने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त किराया देय होगा।
21. वाहन में फास्टेग की सुविधा अनिवार्य होगी तथा इसका रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।
22. वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म को कार्यालय प्रमुख के साथ शर्तों के अनुरूप अनुबंध निष्पादित करना होगा।